

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 185/2020-21



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

तानिस होरो

- विक्रेता

सुरेश हेमरोम

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
23.11.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक तानिस होरो पिता स्व० थोमस होरो ग्राम-कुदरी, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने सुरेश हेमरोम पिता स्व० बुदरू हेमरोम ग्राम-मनमनी, पो०-रायसिमला, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>कुदरी</td><td>11</td><td>17</td><td>48</td><td>0.20</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 717 दिनांक 12.11.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि मौजा कुदरी, खाता नं० 17, प्लॉट नं० 48, रकबा 0.20 एकड़ भूमि से संबंधित वाद न्यायालय में लंबित होने के कारण अंचल अधिकारी द्वारा भूमि विक्रय हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, तोरपा द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> 23/11/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> 23/11/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	कुदरी	11	17	48	0.20	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
कुदरी	11	17	48	0.20								